

#2024/70

फर्द अहकाम

बनवारी बनाम कालूराम वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण)
केस संख्या 37.../2024 दावा बाबत वेदखली व स्थायी नियेधाजा अन्तर्गत धारा 183,188
आरटीएक्ट 1955

सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03.07.2024	<p>वादी की ओर से यह वाद पत्र जरिये अभिभाषक श्री रामगोपाल कुमावत ने पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 14/8/24 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)</p>	
	14/8/24	<p>अभिभाषक (पत्रावली) प्रतिवादीगण की तलबी और सम्मन की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 25/9/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)</p>	
	25/9/24	<p>प्रतिवादीगण की तलबी और सम्मन की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 21/10/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)</p>	
	21/10/24	<p>अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक सच ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ P.O साहब अन्य प्रशासनिक कार्य है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 12/12/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i> (रीडर)</p>	
	12/12/24	<p>अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक सच ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 31/1/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i> (रीडर)</p>	
	31/1/25	<p>पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में वार वार आवाज लगी गई। वादी/ प्रतिवादी व उनके अभिभावकों से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः प्रकरण आदमू वजरी अदमू पेशी में खरिज की जा सता है। पत्रावली फाइल खरिज होकर वारिकल (फतद) होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)</p>	